न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 59 / 2024

विकास पुत्र महेन्द्र, जाति जाट, साकिन पीलीबंगा गांव, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. गोमती पत्नी नारायण, जाति जाट, साकिन पीलीबंगा गाव,तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. औमप्रकाश पुत्र नारायण, जाति जाट, साकिन पीलीबंगा गाव, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3. महेन्द्र पुत्र नारायण, जाति जाट, साकिन पीलीबंगा गाव, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
4. रोहिताश पुत्र महेंन्द्र, जाति जाट, साकिन पीलीबंगा गाव, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
5. बसकरो पुत्री महेन्द्र पत्नी पवन, जाति जाट, साकिन मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. बिरमा पुत्री नारायण पत्नी महावीर, जाति जाट, साकिन जोगीवाला, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुनील सहू	–– प्रार्थी
2. श्री करणी सिंह राठौड़	–– अप्रार्थी सं. 1, 2
3. श्री महेन्द्र सैन	––अप्रार्थी सं. 3 ता 6
4. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा	–– अप्रार्थी संख्या 7

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 03/09/25

प्रार्थी की ओर से श्री सुनील सहू अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया [illegible] है, जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण स. 1 [illegible] सदस्य है एवं हिन्दू विधि से शासित होने के कारण प्रत्येक [illegible] सहदायिक जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र की नोईयत को समझने के लिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण स. [illegible] का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। खानदान के अनुसार प्रतिवादी स. 1 [illegible] प्रतिवादी स.4 व 5 की दादी व प्रतिवादी सरू 2,3,6 की माता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:57:57 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादी स. 1 गोमती के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 2 एनआर के खाता स. 14/11 के प.न. 40/331 (21) के किला न. 13/2/0.190, 14 ता 19, 20/2/0.228,

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

21/1/0.063, 22 ता 25 इस प्रकार कुल 3.0110 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जो कि प्रार्थी के दादा नारायण व परिवार की सयुक्त आय से तथा अपनी भूमि से काश्त कर खरीद की थी जो कि प्रार्थी की दादी अप्रार्थी स.1 के नाम से खरीद की थी, जो गृहणी थी। अप्रार्थी स.1 के पास आय का कोई स्त्रोत नही था, जो कि प्रार्थी के दादा ने अपने दोनो पुत्रो को बराबर–बराबर हिस्से में देने के लिए अप्रार्थी स.1 को कहा था तब अप्रार्थी स.1 ने कहा कि मैं अपने जीवनकाल में इस भूमि की उपज से अपना जीवन यापन करूगी और मेरी मृत्योपरान्त प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि दोनो पुत्रो बहिस्सा बराबर हिस्से में मिल जायेगी, मैं इस भूमि का बैचान, दान, रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करूगी। इसलिए उक्त कृषि भूमि पेतृक कृषि भूमि होने से प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में वर्णित अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी सः 3 महेन्द्र के 1/4 हक व हिस्सा मे से वादी का 1/4 हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर जन्म से निहित है। वादी अपने हक व हिस्सा अनुसार घोषणा प्राप्त करने व अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है व खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और प्रतिवादी स. 1, प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के असमयक प्रभाव में है तथा प्रतिवादीगण, वादी से रंजिश रखते हैं इस कारण प्रतिवादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज होने का नजायज फायदा उठाने के उदेश्य से तथा वादी को अपने हक व हिस्सो से महरूम करने के उदेश्य से प्रश्नगत कृषि भूमि को अपने लालच से वशीभूत होकर अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को ओने पोने दामो में किसी अजनबी व्यक्तियों को बैय करने की फिराक में है व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करना चाहते है। यदि प्रतिवादी स.1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी अपनी पेतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा व वादी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी स.1 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है कि प्रार्थी की पेतृक कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एनआर के खाता स. 14/11 के प.न. 40/331(21) के किला न. 13/2/0.190, 14 ता 19, 20/2/0.228, 21/1/0.063, 22 ता 25 इस प्रकार कुल 3.0110 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि में से प्रतिवादी स. 3 महेन्द्र के 1/4 हक व हिस्सा मे से 1/4 हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार घोषणा प्राप्त करने व अच्छी–मन्दी के अनुसार खाता विभाजन से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे और विशिष्ट किलों को बैचान करने से निषेध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स. 1 ता फैसला वाद इस आशय की जारी की जावें कि प्रार्थी की पेतृक कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एनआर के खाता स. 14/11 के प.न. 40/331 (21) के किला न. 13/2/0. 190, 14 ता 19, 20/2/0.228, 21/1/0.063, 22 ता 25 इस प्रकार कुल 3.0110 हैक. कृषि भूमि में से प्रतिवादी स. 3 महेन्द्र के 1/4 हक व हिस्सा मे से 1/4 हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार घोषणा प्राप्त करने व अच्छी–मन्दी के अनुसार खाता विभाजन से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे और विशिष्ट किलों को बैचान करने से निषेद्ध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:57:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया एकपक्षिय बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई जिसपर अस्थाई निषेधज्ञा जारी है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अधिवक्ता श्री करणी सिंह राठौड द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 निम्न प्रकार से है–यह कि दफा 1 प्रार्थना पत्र मे वाद पत्र पेश होना स्वीकार है। परन्तु उसमे प्रार्थी को कामयाबी की आशा होना स्वीकार नही है।

यह कि दफा 2 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी स्वीकार नही है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, व 6 सब के अलग–अलग परिवार है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 के नाम अलग–अलग भूमि दर्ज है। यह कि दफा 3 प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 2 एन. आर. के खाता सं. 14/11 के पं.नं. 40/331 (21) के किला नं. 13/2, 14 ता 19, 20/2, 21/1, 22 ता 25 की कुल 3.0110 हैक. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज होना स्वीकार है। जो अप्रार्थीया स्वय की खरीदशुदा स्वःअर्जित भूमि है। यह कि दफा 4 प्रार्थना पत्र गलत ब्यानी स्वीकार नही । विवादित भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा अपने स्त्रीधन से खरीद की गई भूमि है। जिसकी एक मात्र अधिकारी अप्रार्थीया संख्या 1 है। अप्रार्थीया की स्वंय की खरीदशुदा स्वःअर्जित भूमि मे किसी भी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नही है। विवादित भूमि पैतृक भूमि नही है तथा ना ही कोई पैतृक आय से खरीदी गई है। विवादित भूमि नारायण या उसके परिवार की किसी भी आय से खरीद नही की गई है। अप्रार्थीया द्वारा अपने स्त्रीधन से खरीद की गई स्वःअर्जित भूमि है। विवादित भूमि मे ओमप्रकाश व महेन्द्र व प्रार्थी तथा अन्य अप्रार्थीगण किसी का भी कोई हक व हिस्सा नही है। अप्रार्थीया संख्या 1 एक मात्र अधिकारी एंव खातेदार है। वादी को प्रतिवादीया के विरूद्ध दावा पेश करने का कोई अधिकार नही है। यह कि दफा 5 वाद पत्र गलत ब्यानी स्वीकार नही। विवादित भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 की स्वः अर्जित भूमि है जिसमें प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही हैं अप्रार्थीया अपनी खरीदशुदा भूमि की एकमात्र अधिकारी एंव खातेदार है। अप्रार्थीया को अपनी भूमि रहन बैय करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी को दावा करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी अप्रार्थीया के विरूद्ध कोई शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी का मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। प्रार्थी अप्रार्थीया के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अधिवक्ता श्री महेन्द्र सैन की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी स. 4 ता 6 की ओर निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 1 में वर्णित कथन मात्र दावा पेश होना स्वीकार है, दावा की कामयाबी की कोई आशंका नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 2 में वर्णित कथन सजरा खानदान होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स 3 में वर्णित कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 4 में वर्णित कथन प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जो कि प्रार्थी के दादा नारायण व परिवार की सयुक्त आय से तथा अपनी भूमि से काश्त कर खरीद की थी जो कि प्रार्थी की दादी अप्रार्थी स.1 के नाम से खरीद की थी, जो गृहणी थी। अप्रार्थी स.1 के पास आय का कोई स्त्रोत नही था, जो कि प्रार्थी के दादा ने अपने दोनो पुत्रो को बराबर–बराबर हिस्से में देने के लिए अप्रार्थी स.1 को कहा था तब अप्रार्थी स.1 ने कहा कि मैं अपने जीवनकाल में इस भूमि की उपज से जीवन यापन करूगी और मेरी मृत्योपरान्त प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि दो पुत्रो बहिस्सा बराबर हिस्से में मिल जायेगी, मैं इस भूमि का बैचान ... इन्तकिल नही करूगी। इसलिए उक्त कृषि भूमि पेतृक कृषि भूमि होने से मद सं. 3 में वर्णित अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी स. 3 महेन्द्र के 1/4 हक व हिस्सा मे से प्रार्थी का 1/4 हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर जन्म से निहित होने के कथन असत्य मनगढत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी किसी भी रूप में 1/4 हक व हिस्सा की घोषणा व खाता विभाजन करवाने का अधिकारी नही है। क्योकि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी व

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:37:57 IST
Reason: SelfAttested

मिन अप्रार्थीगण की पैतकहिस्सा उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी स. 1 वादी व प्रतिवादी स.4 व 5 की दादी व प्रतिवादी सरू 2,3,6 की माता है।

यह कि प्रतिवादी स. 1 गोमती के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 2 एनआर के खाता स. 14/11 के प.न. 40/331 (21) के किला न. 13/2/0.190, 14 ता 19, 20/2/0.228, 21/1/0.063, 22 ता 25 इस प्रकार कुल 3.0110 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जो कि प्रार्थी के दादा नारायण व परिवार की सयुक्त आय से तथा अपनी भूमि से काश्त कर खरीद की थी जो कि प्रार्थी की दादी अप्रार्थी स.1 के नाम से खरीद की थी, जो गृहणी थी। अप्रार्थीद्य स.1 के पास आय का कोई स्त्रोत नही था, जो कि प्रार्थी के दादा ने अपने दोनो पुत्रो को बराबर–बराबर हिस्से में देने के लिए अप्रार्थी स.1 को कहा था तब अप्रार्थी स.1 ने कहा कि मैं अपने जीवनकाल में इस भूमि की उपज से अपना जीवन यापन करूगी और मेरी मृत्योपरान्त प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि दोनो पुत्रो बहिस्सा बराबर हिस्से में मिल जायेगी, मैं इस भूमि का बैचान, दान, रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करूगी। इसलिए उक्त कृषि भूमि पेतृक कृषि भूमि होने से प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में वर्णित अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी सः 3 महेन्द्र के 1/4 हक व हिस्सा मे से वादी का 1/4 हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर जन्म से निहित है। वादी अपने हक व हिस्सा अनुसार घोषणा प्राप्त करने व अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है व खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और प्रतिवादी स. 1, प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के असमयक प्रमाव में है तथा प्रतिवादीगण, वादी से रंजिश रखते हैं इस कारण प्रतिवादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज होने का नजायज फायदा उठाने के उदेश्य से तथा वादी को अपने हक व हिस्सो से महरूम करने के उदेश्य से प्रश्नगत कृषि भूमि को अपने लालच से वशीभूत होकर अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को ओने पोने दामो में किसी अजनबी व्यक्तियों को बैय करने की फिराक में है व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करना चाहते है। यदि प्रतिवादी स. 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी अपनी पेतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा व वादी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी स.1 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है कि प्रार्थी की पेतृक कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एनआर के खाता स. 14/11 के प.न. 40/331(21) के किला न. 13/2/0.190, 14 ता 19, 20/2/0.228, 21/1/0.063, 22 ता 25 इस प्रकार कुल 3.0110 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि में से प्रतिवादी स. 3 महेन्द्र के 1/4 हक व हिस्सा मे से 1/4 हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार घोषणा प्राप्त करने व अच्छी–मन्दी के अनुसार खाता विभाजन से ... बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे और ... किलों को बैचान करने से निषेद रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:57:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स. 1 ता फैसला वाद इस आशय की जारी की जावें कि प्रार्थी की पेतृक कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एनआर के खाता स. 14/11 के प.न. 40/331 (21) के किला न. 13/2/0. 190, 14 ता 19, 20/2/0.228, 21/1/0.063, 22 ता 25 इस प्रकार कुल 3.0110 हैक. कृषि भूमि में से प्रतिवादी स. 3 महेन्द्र के 1/4 हक व हिस्सा मे से 1/4 हक व

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार घोषणा प्राप्त करने व अच्छी–मन्दी के अनुसार खाता विभाजन से पूर्व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे और विशिष्ट किलों को बैचान करने से निषेद्ध रहे।

आदेश

अधिवक्ता उभय पक्ष हाजिर बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस में मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा संयुक्त खाता की भूमि की आय से खरीदी गई हे पैत्रक भूमि है। कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और प्रतिवादी स. 1, प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के असमयक प्रभाव में है तथा प्रतिवादीगण, वादी से रंजिश रखते हैं इस कारण प्रतिवादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज होने का नजायज फायदा उठाने के उदेश्य से तथा वादी को अपने हक व हिस्सो से महरूम करने के उदेश्य से प्रश्नगत कृषि भूमि को अपने लालच से वशीभूत होकर अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को ओने पोने दामो में किसी अजनबी व्यक्तियों को बैय करने की फिराक में है व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करना चाहते है। यदि प्रतिवादी स.1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी अपनी पेतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा व वादी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति कारित होगी। इस लिए अस्थाई निषेधाज्ञा तादावा फैसला किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से बहस में कथन किया गया कि दावा प्रतिवादीया का पोता है। प्रश्नगत रकबा स्त्रीधन से खरीद शुदा रकबा है। यह स्त्री की खरीद शुद्धा भूमि है। जीवन काल में पोते का कोई हक नहीं है। अधिवकता प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से अपने कथनों की पुष्टी हेतु न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया–

1. आरआरटी 2012 पेज न. 1438

2. आरआरटी 2017 पेज न. 259

3. आरआरटी 2016 पेज न. 159

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सममान अध्ययन किया गया। प्रकरण में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है पूर्व में जारी अस्थाई स्थगनादेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 30.04.2024 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:57:57 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेशा आज दिनांक 03/09/25 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जा रही है।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा